पत्र संख्या-विधि-2(1)खाद्य(2005-2006)/ 16/09/10002/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(विधि अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: अप्रैल 6 ,2009

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या- विधि-2(1)खाद्य(2005-2006)/ 917/वाणिज्य कर, दिनांक 11-11-08 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की इलाहाबाद की लखनऊ पीठ द्वारा सर्वश्री आर्यावत चावल उद्योग, अकबरपुर जिला-अम्बेडकर नगर एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक 22-5-08 के द्वारा दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये थे कि जिन मामलों में कर-निर्धारण की कार्यवाहीं की जा चुकी है ऐसे मामलों में तथ्यों की जांच करते हुए एवं विधिक परीक्षण करके उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-10बी की परिधि में आने पर उक्त धारा के अन्तर्गत कार्यवाही अवश्य करा ली जाय। उक्त निर्णय में केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-15सी की निम्नवत व्याख्या की गयी है-

"Section 15(c) of the Central Act provides reduction of tax livable on the turnover of the rice under the U.P Trade Tax Act with the tax levied on the paddy out of which such rice was procured. It does not provide any reduction of tax under the Central Act by the tax paid on paddy under the State Law out of which such rice was procured."

उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परिपत्र दिनांक 11-11-2008 जारी किया गया था।इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश जारी करके धारा-10बी के अन्तर्गत कार्यवाही को किसी भी प्रकार से अनिवार्य नहीं किया गया है। वस्तुत: ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) को धारा-10बी के अन्तर्गत कार्यवाही का निर्णय लेने के पूर्व वाद का तथ्य एवं विधि की दृष्टि से परीक्षण करते हुए अपने विवेक से स्वंय यह निर्णय लेना होता है कि कोई मामला धारा-10बी के अन्तर्गत पुनरीक्षण हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं।तद्नुसार पूर्व में जारी किये गये निर्देश सिर्फ यह बताने के लिये जारी किये गये थे कि मा0 उच्च न्यायालय ने विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29-3-07 में स्पष्ट की गयी विधिक स्थिति को सही माना है और उसके आलोक में ही अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक प्रकरण के गुण अवगुण के आधार पर धारा-10बी के अन्तर्गत कार्यवाही का निर्णय लिया जाय ।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6/4/09

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।